Increase of passenger fares by DTC

3029. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Delhi Transport Corporation has revised passenger fares in Delhi during June, 1994;

(b) if so, details thereof slab-wise with reasons for such increase;

(c) whether recent revision in passenger fares without increasing the further number of buses in existing fleet is justified;

(d) if so, to what extent;

(e) whether such revision has been made applicable in city buses under STA;

(f) whether the operators under STA were asked to display revised fare chart near entry gates as well as near seat of Conductors;

(g) if so, details thereof and if not, the reasons therefor;

(h) whether in the absence of display of revised fare chart, the passengers are being overcharged thus leading to an open loot by transporters under STA;

(i) whether Government seriously propose to take some drastic steps in the matter; and

(j) if so, details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a). Yes, Sir.

(b) The details are as under:—

Distance (Km.)	Fare (Rs.)
Upto 5 km.	1.00
Over 5 km.—upto 8 km.	2.00
Over 8 km.—upto 15 km.	3.00
Over 15 km.	4.00
G.L. Service.	5.00

The fares have been revised to meet the cost of operation which has gone up considerably, due to increase in the cost of fuel, lubricants and other inputs.

(c) and (d) Yes, Sir. The fare revision has been effected to meet the cost of operation on account of increase in the cost of fuel, lubricants and other inputs.

(e) Yes, Sir.

(f) and (g) The private buses playing under STA permits are required to display the fare chart prominently inside the bus for the information of the commuters.

(h) to (j) No, Sir. However, on complaints of over-charging, action is taken by the Government of National Capital Territory of Delhi against the permit holder under the provisions of the Motor Vehicles Act.

राष्ट्रीय जल प्रवाह कार्यक्रम

3030. श्री आस मोहम्मद:
श्री ईश दत्त यादव:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय जल प्रवाह कार्यक्रम शुरू किया है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ा किया जाना

3031. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरौला:
श्रीमती आनंदी बेन जेठाभाई पटेल:
श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में उन राष्ट्रीय राजमार्गों का ब्यौरा क्या है, जिनको चौड़ा करने, उनका विस्तार करने तथा उनकी

मरम्मत करने संबंधी कार्य जनवरी, 1992 से आरंभ होकर आज तक चल रहा है और गुजरात से गुजरने वाले बाकी राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंध में ऐसा कार्य कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(ख) अनुमानित व्यय तथा उस पर खर्च हुई वास्तविक धनराशि का ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव एक सतत प्रक्रिया है और उपलब्ध संसाधनों से ही राष्ट्रीय राजमार्गों को यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। संभवत माननीय सदस्य द्वारा प्रयुक्त विस्तार शब्द का आशय नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा से है। निधियों के अभाव के कारण जनवरी, 1992 से अब तक गुजरात में किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा नहीं की गई है। यातायात की वर्तमान तथा परियोजित सघनता, मौजूदा पेवमैंट की स्थिति, और अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता तथा निधियों की उपलब्धता जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख कर राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के कुछके खंडों को चौड़ा किया जा चुका है।

निधियों के अभाव तथा अन्य कारणों से गुजरात में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा किया जाना संभव नहीं है। अतः अभी से यह बता पाना संभव नहीं है कि गुजरात से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को कब तक चौड़ा कर दिया जाएगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए, आबंटित राशि नीचे दर्शाई गई है:-

	विकास		रख-रखाव एवं मरम्मत	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
1991-92	4770.00	5826.75	918.89	1004.16
1992-93	4650.00	6211.86	881.37	1056.61
1993-94	6350.00	4552.25	1033.95	1211.25

दिल्ली परिवहन निगम की खराब दशा

3032. **मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी**: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार दिल्ली परिवहन निगम के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों ने स्वयं ही निगम को लूटा तथा उसे बरबाद किया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या योजना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) सरकार, दिल्ली परिवहन निगम की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने की दृष्टि से इसके कार्य-निष्पादन पर लगातार नजर रखती रही है। ईंधन की बचत और टायर की आयु में वृद्धि, बेहतर रख-रखाव द्वारा ब्रेक-डाऊनों की संख्या में कमी और खर्च में किफायत जैसे कुछ उपाय किए गए हैं। सरकार दिल्ली परिवहन निगम की पुनर्स्थापना के लिए एक अन्तर-सम्बद्ध पैकेज को भी अंतिम रूप दे रही है।

यह बात सरकार के देखने में नहीं आई है कि दि०प०नि० के कर्मचारियों ने ही निगम को लूटा और नष्ट किया है।

Amount Earmarked for Works of National Highways In Gujarat

3033. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:-

(a) what are the details of the amount earmarked by Government for national highways in Gujarat during the years 1993-94 and 1994-95 respectively;

(b) whether Government of Gujarat have submitted any proposal to link some of the roads of the State with national highways; and

(c) if so, what are the details thereof?